न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 128 / 2020 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2020 / 00159

1. गवरा पुत्री करीमखां जाति मुसलमान निवासी गांव जालवाली तहसील व जिला बीकानेर।
2. नुरजहां पुत्री करीमखां जाति मुसलमान निवासी गांव जालवाली तहसील व जिला बीकानेर।

—— **अपीलान्ट्स**

बनाम

1. हासल खां पुत्र करीम खां जाति मुसलमान निवासी गांव जालवाली तहसील व जिला बीकानेर।
2. रमजान खां पुत्र करीम खां जाति मुसलमान निवासी गांव जालवाली तहसील व जिला बीकानेर।
3. जन्नत पुत्री करीम खां जाति मुसलमान निवासी गांव जालवाली तहसील व जिला बीकानेर।
4. मुरादी पुत्री फातमा पुत्री करीम खां जाति मुसलमान निवासी गांव जालवाली तहसील व जिला बीकानेर।
5. शरीफा पुत्री फातमा पुत्री करीम खां जाति मुसलमान निवासी गांव जालवाली तहसील व जिला बीकानेर।
6. सावन खां पुत्र फातमा पुत्री करीम खां जाति मुसलमान निवासी गांव जालवाली तहसील व जिला बीकानेर।
7. नुरा पुत्री फातमा पुत्री करीम खां जाति मुसलमान निवासी गांव जालवाली तहसील व जिला बीकानेर।
8. सवाई पुत्री फातमा पुत्री करीम खां जाति मुसलमान निवासी गांव जालवाली तहसील व जिला बीकानेर।
9. छोटा पुत्री फातमा पुत्री करीम खां जाति मुसलमान निवासी गांव जालवाली तहसील व जिला बीकानेर।
10. पठान खां पुत्र फातमा पुत्री करीम खां जाति मुसलमान निवासी गांव जालवाली तहसील व जिला बीकानेर।
11. रामत पुत्री फातमा पुत्री करीम खां जाति मुसलमान निवासी गांव जालवाली तहसील व जिला बीकानेर।
12. स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीकानेर।

—— **रेस्पोन्डेंट्स**

उपस्थितः श्री राधाकिशन स्वामी अभिभाषक अपीलांट्स

निर्णय

दिनांक 09.04.2024

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 27.02.2020 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

1– विवादित भूमि वाके ग्राम जालवाली के खसरा नंबर 324 में तादादी 6.85 हैक्टेयर भूमि अपीलांट्स के पिता करीम खां पुत्र महमुद खा के नाम से दर्ज पुश्तैनी भूमि है। अपीलांट्स के पिता की मृत्यु उपरांत रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 2 जो कि अपीलांट के सगे भाई हैं, ने उक्त विवादित भूमि का सरपंच, ग्राम पंचायत जालवाली, पंचायत समिति बीकानेर से विरासतन इंतकाल संख्या 112 दिनांक 05.10.2004 वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर अपने नाम दर्ज करवा लिया। अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त इंतकाल संख्या 112 दिनांक 05.10.2004 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 27.02.2020 पारित करते हुए मियाद के बिन्दु पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2020 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस एवं न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए दौराने बहस कथन किया है कि इंतकाल संख्या 112 में ग्राम जालवाली के खसरा नंबर 324 तादादी 6.85 हैक्टेयर भूमि जो अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वजों के नाम से चली आ रही है, जो बाद में विरासतन अपीलांट्स के पिता करीम खां पुत्र महमूद खां के नाम दर्ज हो गई। करीम खां की मृत्यु पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2, जो अपीलांट के सगे भाई है, ने अपीलांट्स के पीठ पीछे ग्राम पंचायत व पटवारी से मिलीभगत कर फर्जी वारिस प्रमाण पत्र बनवाकर उक्त विवादित भूमि का विरासतन इंतकाल अपने नाम दर्ज करवा लिया, जबकि मुस्लिम विधि के अनुसार बहनों का हिस्सा भाइयों के साथ 1/3 होता है, जिसको दर्ज नहीं करवाया गया तथा बहनों को वारिस प्रमाण पत्र में जानबूझकर छिपाया गया। शेष रेस्पोडेंट्स, अपीलांट्स के भाई–बहिन व भाणजे–भाणजी हैं, जो मौके पर पारिवारिक बंटवारे अनुसार काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त कर रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 11 का विवादित भूमि में पुश्तैनी होने के कारण जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है, जो मुस्लिम विधि के अनुसार भाइयों से कम जरूर हैं मगर हिस्सा निहित हैं, जो 2/3 है। इंतकाल संख्या 112 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद बिन्दु पर ही खारिज कर दिया, जबकि नल एण्ड वोइड ऑर्डर की किसी भी समय अपील की जा सकती है। अपीलांट अनपढ़ काश्तकार है, जो कानूनी पेचिदगियों की जानकारी नहीं रखती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्रकरण में अपीलांट्स को सुनवाई एवं सबूत पेश करने का अवसर देते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमाया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे। वारिस प्रमाण पत्र सलंग्न है। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के मध्यनजर निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:–

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

- आर.आर.डी. 1994 पेज 214
- आर.आर.डी. 1994 पेज 141
- आर.आर.डी. 1994 पेज 77
- आर.आर.डी. 1992 पेज 17
- आर.आर.डी. 1981 पेज 292
- आर.आर.डी. 1992 पेज 239

3— अभिभाषक अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 12 के निमित्त सम्मन प्रस्तुत किये गये, जिन्हें इस न्यायालय के क्रमांक 261 दिनांक 31.08.2020 को जारी कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 11 के निमित जारी उक्त सम्मन "सायल के घर पर नोटिस तामिल करवा दी गई" कि टिप्पणी सहित प्राप्त हुए, जिन्हे बाद तामिल मानते हुए इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 21.02.2022 द्वारा शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 11 के निमित जारी सम्मन तामिल होने के बावजूद न तो रेस्पोडेन्ट्स स्वयं उपस्थित हुए और न ही उनकी ओर से कोई विधिक प्रतिनिधि उपस्थित हुए। अतः इस न्यायालय में विचाराधीन अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 11 के सूचित हो जाने के बावजूद उनकी ओर से किसी भी प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 11 के विरूद्ध एकपक्षीय (Ex Parte) कार्यवाही अमल मे लायी जाती है।

4— हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा अभिभाषक अपीलांट की लिखित बहस एवं न्यायिक दृष्टांत का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। प्रकरण में अपीलांट्स करीम खां की पुत्रियां हैं तथा अपीलाधीन भूमि का पिता की मृत्यु के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 के नाम विरासतन इंतकाल दर्ज हो गया, जबकि इंतकाल दर्ज करते समय अपीलांट्स को भी सुना जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2020 पारित करते हुए अपील अपीलांट को तकनीकी मियाद बिन्दु पर निस्तारण किया, जबकि निर्णय गुणावगुण आधार पर पारित किया जाना चाहिये था। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.02.2020 निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी बीकानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में अपीलांट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 09.04.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/4/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर